

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ /2018/

दिनांक :

**आदेश**

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/दन्त तकनीशियन/सीधी भर्ती/2015/756 दिनांक 06.11.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत दन्त तकनीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित दन्त तकनीशियन जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. (रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रूपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र. स.	पदस्थापन सूची क्रमांक 756 दिनांक 06.11.15 के क्र.स	कर्मचारी / पिता का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण दिनांक
1.	54	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	20.02.84	20.11.15	19.11.17	20.11.17
2.	68	श्री रामराज चौधरी पुत्र श्री गोपाल लाल चौधरी	सामु0स्वा0केन्द्र मालपुरा (टोंक)	10.07.81	23.11.15	22.11.17	23.11.17
3.	63	श्री सुरज्ञान यादव पुत्र श्री शिवराम यादव	सामु0स्वा0केन्द्र देवली (टोंक)	01.01.82	23.11.15	22.11.17	23.11.17
4.	12	पूजा रानी पुत्री श्री जयपाल सिंह	सामान्य चिकित्सालय अजीतगढ, सीकर	28.12.91	18.11.15	17.11.17	18.11.17
5.	44	श्री जगदीश प्रसाद खाती श्री विशम्भर दयाल	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	01.06.65	20.11.15	19.11.17	20.11.17
6.	27	श्री दीपक राणा पुत्र श्री शुभाष चन्द	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द	10.04.91	23.11.15	22.11.17	23.11.17

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/दन्त तकनी0/ /2018/ 104

दिनांक : 1. 2. 18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/सीएचएचओ/पीएमओ/सीएचसी/पीएचसी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर